न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2025/73
मुकदमा नम्बर 18/2025 दर्ज दिनांक–24.02.2025

सुरेश कंवर पत्नी श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिराना, तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्री अमर सिंह शेखावत
अनावेदक – पैरो. राज

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 10.03.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम पहाडिला पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित कृषि भूमि खाता सं. नया 268 पुराना खाता सं. 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 705/143 रकबा 1.0500 है0 की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 के मुताबिक पत्थर गड्डी करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अना. की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज प्रकट नही किया।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को कृषि भूमि खाता सं. नया 268 पुराना खाता सं. 4 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 705/143 रकबा 1.0500 है0 की सीमाओं में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 के अनुसार पत्थर गड्डी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे सीमाज्ञान करते हुये ,पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

10/3

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू